सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 334/16 निर्णय दिनांकः– 30.08.2019

1. यारूखॉ पुत्र मीरण खॉ जाति मुसलमान निवासी जगासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. खुदाबक्स पुत्र अलादिवाया जाति मुसलमान निवासी जगासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 23–04–2014
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 23–04–2014 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि के पास के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/47 में 02 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। इसी मुरब्बें के चिपते मुरब्बा नम्बर 184/47 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 11 में 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिस पर अपीलांट की भी वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 08—08—2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 18 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/47 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 11 में 5 बीघा भूमि के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदक पात्र नहीं होने के कारण अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य

है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सीपीसी के आदेश 41 नियम 13 (2) के हवाले से मूल पत्रावली भिजवाने की अपेक्षा की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा गत् 05 वर्षो के दौरान बार—बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद पत्रावली एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। पक्षकारों ने संभावना जाहिर की है कि अपील प्रस्तुत करने के उद्वेश्य को निष्फल करने के लिये परीक्षण न्यायालय के कार्मिकों ने मूल दस्तावोज गायब कर दिये है। गत् .5 वर्षो तक बार—बार तलबी जारी होने तथा अर्द्वशासकीय पत्र जारी होने के उपरान्त पत्रावली उपलब्ध नहीं करवना उक्त संभावनाओं की पुष्टि करता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण करने के अलावा अपील न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—04—2015 के विरूद्व अपील 28 दिन विलम्ब से पेश की गई है। अपील पेश करने में 28 दिवस का विलम्ब सामान्य प्रक्रिया में होने वाला विलम्ब है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चूंकि आवंटन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए अपीलांट की पीठ पीछे आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, स्मालपेच आवंटन के रूप में आवंटन योग्य भूमि के मुरब्बें में खुदाबक्स, लतीफ तथा यारूखॉ

खातेदार काश्तकार थे। लतीफ ने खुदाबक्स के पक्ष में अपना दावा छोड़ दिया। यारूखॉ अपीलांट ने आवंटन हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर पटवारी ने तीनों आवेदन पत्रों को समान मानकर अपनी टिप्पणी पेश कर दी, परन्तु आवंटन अधिकारी ने आवेदन पत्र पर ही ''यारूखॉ प्रथम मात्र नहीं होने पर प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है'' की टिप्पणी अंकित कर दी। उसी आधार पर खुदाबक्स के पक्ष में आवंटन आदेश जारी कर दिया। अपीलांट यारूखॉ का आवेदन खारिज करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। एक ही मुरब्बें के एक से अधिक समान खातेदार होने पर आवंटन योग्य भूमि को आवेदकों के मध्य प्रतिस्पर्धी दरों पर बोली लगाने का प्रावधान है, परन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त प्रक्रिया को नजरअंदाज किया। जिसके कारण अपीलांट अपने हकों से वंचित हुआ तथा राज्य सरकार को वित्तिय नुकसान हुआ।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट खुदाबक्स के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23—04—2014 निरस्त किया जाता है व प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को रिमाण्ड किया जाता है कि वे स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि को उसी मुरब्बें के काश्तकारों के मध्य खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के तहत आवंटन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर